

1. गठन:—

राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत तंत्र के सुधार एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 19 जुलाई 2000 को पांच विद्युत कंपनियों का गठन किया गया था। विद्युत वितरण क्षेत्र में क्रमशः जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का गठन किया गया था।

विद्युत वितरण निगमों का कार्य क्षेत्र:—

क्र सं	विवरण	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	तीनों वितरण कम्पनियों का योग
1	भौगोलिक क्षेत्र	1. अलवर 2. बारां 3. बून्दी 4. भरतपुर 5. धौलपुर 6. दौसा 7. जयपुर 8. झालावाड 9. कोटा 10. करौली 11. सवाईमाधोपुर 12. टोंक	1. अजमेर 2. बांसवाड़ा 3. भीलवाड़ा 4. चित्तौड़गढ़ 5. झुंजरपुर 6. झुंझनू 7. राजसमंद 8. सीकर 9. उदयपुर 10. प्रतापगढ़ 11. नागौर	1. बीकानेर 2. बाड़मेर 3. चूरू 4. हनुमानगढ़ 5. जोधपुर 6. जैसलमेर 7. जालौर 8. पाली 9. सिरोही 10. श्री गंगानगर	33 जिले
2	क्षेत्रफल	72474 वर्ग किमी	87256 वर्ग किमी	182509 वर्ग किमी	342239 वर्ग किमी
3	जनसंख्या *	256 लाख	229 लाख	203 लाख	688 लाख
4	उपभोक्ता (मय पीडीसी)	59.59 लाख	62.09 लाख	52.27 लाख	173.95 लाख
5	कुल गांव	15145	15379	14148	44672
6	विद्युतिकृत गांव	14776	15272	13917	43965

* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।

2. विद्युत व्यवस्था:-

राजस्थान के जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगमों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए समुचित विद्युत वितरण तंत्र स्थापित करने के साथ निरंतर समृद्ध किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। दिनांक 31.12.2021 तक स्थापित विद्युत तंत्र एवं कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	स्थापित विद्युत तंत्र का विवरण		जयपुर डिस्कॉम	अजमेर डिस्कॉम	जोधपुर डिस्कॉम	कुल
1	33/11 केवी सब स्टेशन	संख्या	1893	1953	2323	6169
		एम.वी.ए.	13349	10271	11930	35550
2	33 केवी लाइन	(कि.मी.)	16529	16531	25167	58227
3	11 केवी लाइन	(कि.मी.)	185106	158303	256382	599791
4	एल.टी.लाइन	(कि.मी.)	160476	197339	165004	522819
5	11/0.4, 6. 35/0.24 केवी सब स्टेशन	संख्या	823939	699388	570727	2094054
		एम.वी.ए.	18636	17443	18304	54383
6	पदस्थापित कर्मचारी	संख्या	17834	14521	13484	45839

3. योजनावार पूंजीगत व्यय

राज्य में विद्युत वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु उप प्रसारण एवं वितरण लाइनों का तंत्र विस्तार प्राथमिकता के आधार पर करते हुये ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु निम्नानुसार राशि व्यय की गई है:-

पंचवर्षीय/वार्षिक योजनावार पूंजीगत व्यय

क्र. स.	मद	बारहवीं योजना	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (साह दसम्बर, 2021 तक)	
							2020-2021	2021-22 (साह दसम्बर, 2021 तक)
1.	उप प्रसारण	6838.47	1234.26	1107.69	1887.74	1282.16	1151.51	
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण	7087.69	1823.99	2980.49	2140.89	1697.75	1507.84	
3.	फीडर सुधार कार्यक्रम	626.54	108.83	121.07	24.45	-		
4.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व आर.जी. जी.वी.वाई.) / ए.आर.ई.पी	898.89	622.93	1642.95	931.99	224.37	55.62	
5.	सोभाय योजना	-	-	-	918.31	195.82	18.58	
6.	आर.ए.पी.डी.आर.पी. -ए	179.91	13.50	7.12	9.18	38.40		
7.	आर.ए.पी.डी.आर.पी. -बी	1412.66	38.47	21.50	11.62	0.19	4.47	
8.	सब स्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (SSIP)	303.10	29.67	0.00	-	-	-	
9.	मुख्यमंत्री सब के लिए विद्युत योजना (MMSLVY)	201.63	0.00	0.00	-	-	-	
10.	आई.पी.डी.एस.	-	125.30	731.00	301.52	41.54	6.36	
11.	कृषि क्षेत्र को दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति एवं फीडर पृथक्कीकरण	-	-	-	-	100.40	23.70	
12.	अन्य (ए एम आई स्मार्ट मीटरिंग, डी टी मीटरिंग व आई. टी. प्रोजेक्ट)	-	-	352.23	-	24.71	90.97	
योग		17548.89	3996.95	6964.05	6225.70	3605.34	2859.05	

4. राजस्थान के विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय प्रगति (दिनांक 01.04.21 से 31.12.21 तक) :-
(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	निगम का नाम	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम		राजस्थान	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	उप प्रसारण	518.83	487.42	500.00	399.94	410.00	264.15	1428.83	1151.51
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण	496.95	415.08	600.00	476.42	967.50	616.34	2064.45	1507.84
3.	आर.ए.पी.डी.आर.पी. -ए एवं बी	101.56	0.05	0.00	0.00	45.00	4.42	146.56	4.47
4.	फीडर सेग्रीगेशन	75.81	1.45	10.00	3.64	0.00	0.00	85.81	5.09
5.	2 ब्लॉक सप्लाइ हेतु विद्युत तंत्र	133.75	6.93	50.00	11.68	0.00	0.00	183.75	18.61
6.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना / आर.जी.जी.वी.वाई.	72.00	20.77	58.00	31.46	10.00	3.39	140.00	55.62
7.	आर.ए.पी.डी.आर.पी. (गैर ग्रामीण क्षेत्र)	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00
8.	आई.पी.डी.एस.+आई.पी.डी.एस.-आई.टी. -फेज द्वितीय+ई.आर.पी.(डी.टी. मीटरिंग सम्मिलित)	0.76	0.00	13.88	7.98	28.95	1.51	43.59	9.49
9.	सौभाग्य योजना	0.00	0.00	25.00	16.68	20.00	1.90	45.00	18.58
10.	ए.एम.आई. स्मार्ट मीटरिंग	234.04	87.81	9.68	0.00	65.00	0.00	308.72	87.81
11.	आई.टी. प्रोजेक्ट-आर.एम.एस एवं एन. आई.सी. पॉवर	1.09	0.00	0.00	0.00	25.00	0.03	26.09	0.03
12.	अविद्युतीकृत ढाणियों के आवासों का विद्युतीकरण	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00
13.	रिवैम्बड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम	50.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
14.	अन्य (आर.टी.डी.ए.एस. एवं पोस्ट सौभाग्य)	0.00	0.00	234.82	0.00	0.00	0.00	234.82	0.00
	योग	1738.17	1019.51	1516.38	947.80	1571.45	891.74	4826.00	2859.05

5. राजस्थान के विद्युत वितरण निगमों की भौतिक उपलब्धियाँ
वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक) की उपलब्धियाँ निम्नानुसार रही:-

क्रसं.	मद	2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक) की उपलब्धियाँ										माह दिसम्बर -2021 तक की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ
		जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम		कुल योग डिस्कॉमस		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ			
1	33 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	660	289	205	141	560	120	1425	550		550	58227
2	33/11 के.वी. उप चौकियाँ (संख्या)	45	26	43	21	71	17	159	64		64	6169
3	11 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	6675	-	6889	-	5045	-	18609		18609	599791
4	एल.टी.लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	2015	-	3090	-	1007	-	6112		6112	522819

5.(i) जयपुर विद्युत वितरण निगम की भौतिक उपलब्धियाँ
वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020.21 एवं 2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक) की उपलब्धियाँ निम्नानुसार रही :-

क्रसं.	मद	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक)		माह दिसम्बर -2021 तक की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ
		उपलब्धियाँ		उपलब्धियाँ		उपलब्धियाँ		उपलब्धियाँ		
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	
1	33 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	884	-	501	525	308	660	289	16529
2	33/11 के.वी. उप चौकियाँ (संख्या)	70	93	60	45	40	31	45	26	1893
3	11 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	10469	-	7247	-	4053	-	6675	185106
4	एल.टी.लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	6636	-	4564	-	2510	-	2015	160476

5.(ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम की भौतिक उपलब्धियाँ

वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020.21 एवं 2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक) की उपलब्धियाँ निम्नानुसार रही :-

क्र.सं.	मद	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक)		माह दिसम्बर -2021 तक की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धिया	लक्ष्य	उपलब्धिया	
1	33 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	491	-	273	303	203	205	141	16531
2	33/11 के.वी. उप चौकियाँ (संख्या)	65	110	-	38	40	29	43	21	1953
3	11 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	10295	-	8283	-	6826	-	6889	158303
4	एल.टी.लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	5371	-	5245	-	3590	-	3090	197339

5.(iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम की भौतिक उपलब्धियाँ

वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020.21 एवं 2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक) की उपलब्धियाँ निम्नानुसार रही :-

क्र.सं.	मद	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (माह दिसम्बर -2021 तक)		माह दिसम्बर -2021 तक की सम्पूर्ण उपलब्धियाँ
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धिया	
1	33 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	762	520	393	520	591	560	120	25167
2	33/11 के.वी. उप चौकियाँ (संख्या)	65	105	-	68	65	43	71	17	2323
3	11 के.वी. लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	14626	-	25954	-	5654	-	5045	256382
4	एल.टी.लाइनों का निर्माण (कि.मी.)	-	7567	-	5953	-	2023	-	1007	165004

6.ग्रामीण विद्युतीकरण:-

वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (माह दिसम्बर-2021 तक) की प्रगति निम्नानुसार रही :-

क्र. सं.	मद	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-22 (माह दिसम्बर-2021 तक)		दिसम्बर -2021 तक की सम्पूर्ण स्थिति
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	
1.	ग्राम विद्युतीकरण	-	0	-	0		0	-	2	43965
2.	कूप ऊर्जाकरण	200000	124637	-	90762	50000	47707	-	60672	1693987
3.	अनुसूचित जाति उपयोजना									
क	हरिजन बस्ती विद्युतीकरण		0	-	0	-	0	-	0	20230
ख	उद्योगों को कनेक्शन		10	-	8	-	8	-	6	2875
ग	कुओं को कनेक्शन		10143	-	10564	-	10119	-	9657	230545
4.	ट्राइबल सब प्लान									
क	ग्राम विद्युतीकरण		0	-	0	-	0	-	0	5111
ख	कूप ऊर्जाकरण		18157	-	17043	-	9379	-	7276	150493
5	कुटीर ज्योति / दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना)		164789	-	133629	-	15395	-	3319	2011645

6.(i) ग्रामीण विद्युतीकरण:-

मद		ग्यारहवीं योजना तक	बारहवीं योजना तक	31.03.2019 तक	31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.12.2021 तक
ग्राम विद्युतीकरण	संख्या	39846	43962	43963	43963	43963	43965
	प्रतिशत	96.36	98.41	98.41	98.41	98.41	98.42

नोट:-वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।

7. विद्युत चोरी रोकने हेतु प्रभावी प्रयास:-

राज्य में बिजली चोरी को पकड़ने के लिए तीनों विद्युत वितरण निगमों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पद स्वीकृत हैं तथा राज्य के 33 जिलों में 46 विद्युत चोरी निरोधक थाने स्थापित किये गये हैं। सतर्कता शाखा एवं प.व.स. शाखा द्वारा वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर-2021 तक) में की गई सतर्कता जांच एवं राजस्व वसूली का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

विद्युत वितरण निगम का नाम	जाँच किये गये मामलों की संख्या	जाँच के दौरान विद्युत चोरी के पकड़े गये मामले	राजस्व निर्धारण (लाख रु.में)	राजस्व वसूली (लाख रु.में)	प्रथम सूचना दर्ज कराये गये मामले
जयपुर	43739	41557	9719.40	3793.61	5498
अजमेर	49850	33858	7119.27	2914.38	4864
जोधपुर	22110	11678	3276.51	1359.67	951
कुल योग	115699	87093	20115.18	8067.66	11313

8. मीटर परिवर्तन की प्रगति:-

तीनों विद्युत वितरण निगमों द्वारा वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर, 2021 तक) में खराब एवं बदले गये मीटरों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सिंगल फेस

क्र.सं	खराब/बन्द मीटर की स्थिति	विद्युत वितरण निगम का नाम			
		जयपुर	अजमेर	जोधपुर	कुल योग
1	दिनांक 01.04. 2021 को	58669	117019	145970	321658
2	वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक) में खराब/बन्द मीटर	149802	119240	179328	448370
3	वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक) में बदले गए मीटर	138465	134445	233920	506830
4	शेष रहे	70006	101814	91378	263198

पोली फेस (कृषि/गैर कृषि)

क्र.सं	खराब/बन्द मीटर की स्थिति	विद्युत वितरण निगम का नाम			
		जयपुर	अजमेर	जोधपुर	कुल योग
1	दिनांक 01.04. 2021 को	110830	116255	149008	376093
2	वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक) में खराब/बन्द मीटर	36168	63234	43617	143019
3	वर्ष 2021-22 (माह दिसम्बर 2021 तक) में बदले गए मीटर	40694	48984	47829	137507
4	शेष रहे	106304	130505	144796	381605

9. श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या (Including DF)

(दिसम्बर -2021 तक MIS के अनुसार)

क्र स	विद्युत वितरण निगम का नाम	घरेलू			अधरेलू	सार्वजनिक पथ प्रकाश	कृषि	औद्योगिक			सार्वजनिक जलदाय			मिक्स लोड	इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	योग
		बीपीएल	अन्य	योग				लघु	मध्यम	वृहद	लघु	मध्यम	वृहद			
1	जयपुर	496388	4160849	4657237	554010	7645	612146	72786	16944	5645	26011	431	214	6636	27	5959732
2	अजमेर	946806	3969150	4915956	514822	8508	619708	85554	16267	6237	28145	445	205	12665	0	6208512
3	जोधपुर	562567	3619114	4181681	460449	8509	463569	61783	16628	3358	21447	1714	276	7834	0	5227248
	कुल योग	2005761	11749113	13754874	1529281	24662	1695423	220123	49839	15240	75603	2590	695	27135	27	17395492

* मय पी.डी.सी.

10. विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण :-

उपभोक्ता, आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं की ऑनलाईन शिकायतें राजस्थान सम्पर्क/सी.एम हैल्पलाईन 181 पर दर्ज की जाती हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर 2021 तक जयपुर डिस्कॉम में प्राप्त 154203 शिकायतों में से 153378 , अजमेर डिस्कॉम में 64971 शिकायतों में से 64240 एवं जोधपुर डिस्कॉम में 92582 शिकायतों में से 91776 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल प्राप्त 311756 शिकायतों में से 309394 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ताओं के राजस्व सम्बन्धी विवादों के निपटारे हेतु उपखण्ड, खण्ड, वृत्त स्तर पर “आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ” की स्थापना की गई है। साथ ही संभागीय मुख्य अभियन्ता एवं निगम स्तर पर इस तरह की समस्याओं के निवारण हेतु “उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच” कार्यरत है।

11. 11 के.वी. फीडर पर ऊर्जा की गणना :-

उप प्रसारण एवं वितरण तंत्र में हो रही क्षति को कम करने एवं अधिक ऊर्जा क्षति वाले क्षेत्र/फीडरों की जानकारी हेतु समस्त 11 के.वी. फीडरों पर मीटर लगाये गये हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

विद्युत वितरण निगम का नाम	11 केवी फीडरों की संख्या	11 केवी फीडरों की संख्या जिन पर ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है
जयपुर	9466	9466
अजमेर	9334	9334
जोधपुर	11411	11411
कुल योग	30211	30211

12. उप प्रसारण एवं वितरण तंत्र में विद्युत छीजत :-

जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 (माह दिसंबर, 2021 तक) में हुई औसत छीजत का विवरण (प्रतिशत में) निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	विद्युत वितरण निगम का नाम	औसत छीजत (प्रतिशत में)			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिसंबर, 2021 तक) (अनुमानित)
1	जयपुर	20.15	18.35	17.95	17.79
2	अजमेर	18.26	14.48	13.73	9.50
3	जोधपुर	21.99	20.94	21.81	20.85

13. (i) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:-

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा दिनांक 03.12.2014 को की गई। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य के लिये 2805.35 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दिनांक 06.08.2015 को प्रदान की गई। इसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी 12 जिलों के लिए स्वीकृत राशि रु. 1027.07 करोड़ है एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी 11 जिलों के लिए स्वीकृत राशि रु. 829.33 करोड़ है एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सभी 10 जिलों के लिए स्वीकृत राशि रु. 948.95 करोड़ है। जिलेवार व गतिविधिवार योजना की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिनांक 21.03.2016 को जारी की गई एवं योजना को पूर्णरूपेण टर्नकी पद्धति पर करने की स्वीकृति दिनांक 26.07.2016 को जारी की गई। इस प्रकार यह योजना 26.07.2016 को पूर्णरूप से स्वीकृत हुई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में समस्त अविद्युतिकृत गांवों/ढाणियों का विद्युतीकरण, विद्युत तंत्र का सुदृढीकरण तथा राज्य के समस्त ढाणियों में बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क एवं ए.पी.एल परिवारों के आवासों को विद्युतिकृत करने हेतु निःशुल्क विद्युत तंत्र विकसित करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न कार्य योजना में सम्मिलित है :-

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित गांवों का सघन विद्युतीकरण।
2. नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण।
3. नयी 33 केवी एवं 11 केवी लाईन खींचना तथा नये वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाना।

4. गांवों में कृषि एवं गैर कृषि कार्यों के लिए पृथक-पृथक 11 केवी फीडरों की स्थापना करना।
5. ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अविद्युतीकृत आवासों को विद्युतीकृत करना।

● **वित्तीय सहायता का विवरण :-**

एजेन्सी	सहायता का प्रकार	अंशदान
भारत सरकार द्वारा	सहायता	परियोजना का 60 प्रतिशत
वितरण निगमों द्वारा	स्वयं का	परियोजना का 10 प्रतिशत
	बैंक द्वारा ऋण	परियोजना का 30 प्रतिशत

● **दिनांक 31.12.2021 तक किये गये कार्य की प्रगति :-**

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त 33 जिलों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(अ) स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का योजनानुसार विवरण दिनांक 31.12.2021 तक निम्नानुसार हैं :-

विद्युत वितरण निगम का नाम	जिलों की संख्या	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. करोड में)	कुल प्रगति (रु. करोड में)
जयपुर	12	16	1027.07	988.12
अजमेर	11	14	829.33	912.78
जोधपुर	10	17	948.95	959.44
कुल योग	33	47	2805.35	2860.34

(ब) दिनांक 31.12.2021 तक किये गये भौतिक कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्य विवरण	इकाई	विद्युत वितरण निगम का नाम											
			जयपुर		अजमेर		जोधपुर		कुल योग					
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण	संख्या	9	9	69	69	15	15	93	93	93	93		
2	आशिक विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण	संख्या	7653	7814	7996	7996	5834	5834	21483	21483	21644	21644		
3	अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण	संख्या	6767	6767	587	587	16342	16342	23696	23696	23696	23696		
4	आशिक विद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण	संख्या	6434	6434	20203	20203	7910	7910	34547	34547	34547	34547		
5	ए.पी.एल. आवासों का विद्युतीकरण	संख्या	116018	116018	86256	86256	186975	187258	389249	389249	389532	389532		
6	बी.पी.एल. आवासों का विद्युतीकरण	संख्या	22066	22066	131153	131153	47087	47087	200306	200306	200306	200306		
7	सांसद आदर्श ग्राम	संख्या	11	11	14	14	11	11	36	36	36	36		
8	नये 33 / 11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण	संख्या	117	117	96	96	17	17	230	230	230	230		
9	नई 33 केवी लाइन का निर्माण	कि.मी.	989	961	709	709	89	90.7	1787	1787	1760.7	1760.7		
10	नई 11 केवी लाइन का निर्माण	कि.मी.	7576	6889	4509	4509	11390	11390	23475	23475	22788	22788		
11	नई एल.टी. लाइन का निर्माण	कि.मी.	4730	4614	12561	12561	25331	25331	42622	42622	42506	42506		
12	11 केवी कृषि-अकृषि फीडरो का पृथकीकरण	संख्या	1010	994	335	335	181	181	1526	1526	1510	1510		
13	वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना श्री फेज	संख्या	2284	2305	943	943	58	63	3285	3285	3311	3311		
14	वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना सिंगल फेज	संख्या	16556	16728	18778	18778	33086	33086	68420	68420	68592	68592		

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त 33 जिलों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.(ii) अविद्युतीकृत ढाणियों के आवासों का विद्युतीकरण :-

प्रदेश में कम से कम 20 आवासों वाली अविद्युतीकृत ढाणियों के आवासों के विद्युतीकरण हेतु रुपये 1022.40 करोड़ की योजना की स्वीकृति मॉनिटरिंग कमेटी, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.07.21 को प्रदान की गई। इसमें पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा SC/ST आबादी में न्यूनतम 5 आवास वाली अविद्युतीकृत ढाणियों के आवासों के विद्युतीकरण को भी सम्मिलित किया गया।

योजना अंतर्गत दिनांक 31.12.21 तक के लक्ष्य की तुलना में आवास विद्युतीकरण की प्रगति निम्न प्रकार है :-

विद्युत वितरण निगम का नाम	स्वीकृत राशि (करोड रुपये)	विद्युत तंत्र से विद्युतीकरण (संख्या)		सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युतीकरण (संख्या)	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
जयपुर	7.28	2395	2395	1136	0
अजमेर	582.06	103300	14674	14071	0
जोधपुर	433.06	68609	10739	21332	0
कुल	1022.40	174304	27808	36539	0

शेष रहे आवासों के विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। इसमें लागत की 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में देय होगी, 30 प्रतिशत निगम द्वारा (ऋण के रूप में) तथा 10 प्रतिशत वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा देय होगी।

13.(iii) गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशन (आई.पी.डी.एस.):-

पी. एफ. सी द्वारा जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत जी.आई. एस. सबस्टेशन के लिए रुपये 30.16 करोड़ की डी.पी. आर दिनांक 18.12. 2018 को स्वीकृत की गई थी। यह लागत आई.पी.डी.एस. स्वीकृत लागत रुपये 506.93 करोड के अतिरिक्त है। इसमें मैसर्स यू. पी. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को दिनांक 25.02.2020 को टीएन-500 के अन्तर्गत रुपये 34.75 करोड़ का कार्यादेश दिया गया था। इस कार्यादेश में फर्म को जयपुर शहर में चार 33/11 केवी के जी.आई.एस सबस्टेशन बनाने थे। इनमें से जनाना अस्पताल व रामगंज सबस्टेशन का कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया है तथा शेष भगवती नगर व मीना का नाडा का कार्य प्रगति पर है, जोकि शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है।

14. रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम

1. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण निगमों के परिचालन एवं वित्तीय कुशलता के लिए सुधार एवं परिणाम आधारित “ रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम” दिनांक 20.07. 2021 को अधिसूचित की गई। देशभर में लागू की जा रही इस योजना की अनुमानित लागत कुल 303758 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 97631 करोड़ रुपये का सकल बजटरी सहायता (जी.बी.एस.) शामिल हैं। इसमें प्रदेश के लिए 13400 करोड़ रुपये की योजना की लागत का प्रावधान किया गया है (मीटरिंग कार्य के अतिरिक्त)।

2. योजना का संक्षिप्त विवरण :-

➤ इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

- वित्तीय वर्ष 2024–25 तक सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक हानियों (ए.टी. एण्ड सी लॉसेज) को 12 से 15 प्रतिशत के स्तर तक कम करना।
- विद्युत की प्रति यूनिट औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली के अंतर को वित्तीय वर्ष 2024–25 तक शून्य करना।
- विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना।
 - पूर्ववर्ती योजना से भिन्न इस योजना में उद्देश्य प्राप्ति हेतु विद्युत निगमों को आवश्यक कार्यों को रेखांकित करना एवं इनका समयवार क्रियान्वयन हेतु वितरण क्षेत्र एवं परिचालन कार्य कुशलता में सुधार हेतु कार्य योजना तैयार कर राज्य सरकार की अनुमति उपरांत केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु योजना प्रेषित करनी होगी तथा विद्युत निगमों को अनुदान प्रदर्शन अनुसार देय होगा

➤ योजना के अंतर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित है—

भाग—अ

● मीटरिंग

- सभी उपभोक्ताओं (कृषि उपभोक्ता के अतिरिक्त) के प्रीपेड स्मार्ट संचार प्रणाली युक्त मीटरों की स्थापना।
- सभी वितरण ट्रांसफार्मर व फीडरों पर संचार प्रणाली युक्त मीटरों की स्थापना।
(मीटरिंग का सभी कार्य सम्पूर्ण पूंजीगत एवं संचालन प्रणाली (TOTEX) पर पीपीपी माध्यम से कराया जाएगा)

● वितरण ढांचागत कार्य

- विद्युत छीजत कम करने हेतु लम्बे व अधिक भार वाले फीडरों का विभाजन, आरमर्ड/ए.बी. केबल डालना, फीडरों का कुसुम योजना के अंतर्गत सोलेराईजेशन हेतु कृषि व अकृषि फीडरों में पृथक्कीकरण, एचवीडीएस सिस्टम, नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण/क्षमता विस्तार, एकीकृत बिलिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी, सूचना तकनीकों का समावेश प्रस्तावित।
- प्रणाली नियन्त्रण एवं डेटा ग्रहणीकरण) (SCADA), वितरण प्रबन्धन प्रणाली (DMS) आदि के माध्यम से विद्युत तंत्र का आधुनिकीकरण।

भाग ब

- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, सम्मान/पुरस्कार/प्रोत्साहन, सूचना तंत्र एवं उपभोक्ता भागीदारिता आदि कार्य।
- योजना के अनुसार गतिविधिवार कार्य समय सीमा निम्न प्रकार है

गतिविधि	समय सीमा
सभी फीडरों को कम्यूनिकेबल मीटरिंग संरचना (AMI)/ स्वतः मीटर रीडिंग (AMR) मीटरों के साथ मीटर्ड करना	दिसम्बर, 2022
प्रथम चरण में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना की अनिवार्यता (कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त) <ul style="list-style-type: none">• सभी 29 अमृत सिटी के विद्युत खण्ड जिनकी विद्युत छीजत 15 प्रतिशत से अधिक• औद्योगिक एवं व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ता• ब्लॉक स्तर एवं इससे ऊपर के सभी सरकारी स्वायत्तशासी, बोर्ड, निगम उपभोक्ता• ऐसे क्षेत्र एवं विद्युत खण्ड जहां 50 प्रतिशत से अधिक शहरी हैं तथा छीजत 15 प्रतिशत से अधिक है• अन्य क्षेत्र एवं विद्युत खण्ड जहां छीजत 25 प्रतिशत से अधिक है	दिसम्बर, 2023
प्रथम चरण में जिन क्षेत्रों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये हैं उस क्षेत्र के वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संचार आधारित मीटरिंग (कृषि व 25 केवीए क्षमता तक के वितरण ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त)	दिसम्बर, 2023
द्वितीय चरण में अन्य सभी उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना (कृषि उपभोक्ताओं के अतिरिक्त)	मार्च, 2025
द्वितीय चरण में अन्य सभी वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संचार आधारित मीटरिंग (कृषि व 25 केवीए क्षमता तक के वितरण ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त)	मार्च, 2025
विद्युत छीजत को 12 से 15 प्रतिशत स्तर तक कम करना तथा प्रति यूनिट औसत लागत एवं राजस्व वसूली के अन्तर को खत्म करना	मार्च, 2025

3. योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण

भाग- अ(i): मीटरिंग- प्रीपेड स्मार्ट एवं सिस्टम मीटर

- स्मार्ट मीटरिंग के लिए मीटर लागत का 15% की दर से अनुदान (उपभोक्ता मीटरिंग के लिए रु. 900/प्रति मीटर की सीमा के अधीन) प्रदान किया जाएगा, बिलिंग और संग्रहण दक्षता में सुधार के माध्यम से शेष लागत की वसूली।
- मीटरिंग के लिए अनुदान का वितरण डिस्कॉम के प्रदर्शन व पूर्व अर्हता शर्तों के अधीन नहीं है।
- भाग- अ (ii) : वितरण ढांचागत कार्य- वर्षवार निर्धारित लक्ष्यों का परिणाम आधारित मूल्यांकन तथा तय मापदण्डों पर न्यूनतम 60 प्रतिशत लाने पर ही अनुदान देय
- भाग- ब: पूर्णतया अनुदानित
- ऋण:
 - मीटरिंग कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान के अतिरिक्त शेष राशि का वित्त प्रबंध आरईसी/पीएफसी से किया जा सकता है।

• पीएमए की नियुक्ति-

डिस्कॉम द्वारा योजना की निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी(पीएमए) की नियुक्ति की जायेगी। इसमें मीटरिंग कार्य हेतु अनुदान का 2.5 प्रतिशत तक एवं वितरण ढांचागत लागत कार्यों हेतु लागत राशि का 1.5 प्रतिशत तक पीएमए को भुगतान देय होगा जिसकी भारत सरकार एवं डिस्कॉम्स द्वारा 60:40 के अनुपात में भागीदारी।

4- योजना में भागीदारी हेतु आवश्यक शर्तें :-

योजना की दिशानिर्देशिका (Guidelines)अनुसार राज्य सरकार, विद्युत निगमों एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग को शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

5. योजना क्रियान्वयन हेतु प्रगति

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

15. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (कुसुम योजना)

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रमुखतः किसानों की अतिरिक्त आय अर्जन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान “कुसुम” योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के तीन कम्पोनेन्ट हैं, जिसमें से कम्पोनेन्ट-सी का संपादन विद्युत वितरण निगमों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने हेतु कृत संकल्प है।

- **कुसुम कम्पोनेन्ट सी :-** “कम्पोनेन्ट-सी” के अन्तर्गत ग्रिड से जुड़े 7.5 एच.पी. तक के कृषि पम्प सेटों पर सोलर पैनल दोगुनी क्षमता (11.19 किलोवॉट) तक लगा कर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग न केवल अपनी खेती के लिए बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन को बिजली कम्पनी को 3.44 रु. प्रति यूनिट (विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित) से बेच कर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

- **इस योजना का वित्तीय प्रबन्धन निम्नानुसार निर्दिष्ट है-**

- भारत सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान
- राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान
- किसानों द्वारा 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु ऋण की व्यवस्था
- किसानों के द्वारा स्वयं के संसाधनों से 10 प्रतिशत भागीदारी

- **वर्तमान कृषि कनेक्शनों का सौर-ऊर्जाकरण (कम्पोनेन्ट-“सी”)**

- **जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड**

कुसुम योजना के तहत जयपुर डिस्कॉम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुल 24 पम्प सेट लगाने के लिए रुपये 1.29 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसका कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं टीएन-04 (6 लॉट) के अन्तर्गत 11 केवी के 84 फीडरों पर ग्रिड कनेक्टेड 3934 कृषि उपभोक्ताओं के सोलरईजेशन हेतु दिनांक 12.11.2020 एवं 18.11.2020 को 143.85 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये गये हैं। कार्यादेश की अवधि 9 माह है एवं वर्तमान में योजना का कार्य प्रगति पर है। सर्वे के बाद कुल उपभोक्ताओं की संख्या 4322 हो गयी है एवं कुल कार्य लागत 167.30 करोड़ रुपये हो गयी है।

जयपुर डिस्कॉम ने टोंक वृत्त में 4 कृषि फीडरों के सोलरईजेशन के लिए 33/11 केवी दांतावास सबस्टेशन के पास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4.24 MWp सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए रेस्कॉन्डेवलपर के चयन के लिए निविदा, टीएन 06/2021 जारी की है और जिसमें 656 पंप हैं। जिसका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

➤ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कुसुम योजना के तहत अजमेर डिस्कॉम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुल 19 पम्प सेट लगाने के लिए 0.71 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसका कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं टीएन-84 (15 लॉट) के अन्तर्गत 11 केवी के 63 फीडरों पर ग्रिड कनेक्टेड 5395 कृषि उपभोक्ताओं के सोलर्राईजेशन हेतु दिनांक 18.11.2020 को 135.44 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये गये हैं। कार्यादेश की अवधि 9 माह है एवं वर्तमान में योजना का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त टीएन -86 के तहत एक लॉट के लिये 11 केवी के एक फीडर पर 286 ग्रिड कनेक्टेड कृषि उपभोक्ताओं के सोलर्राईजेशन हेतु आमंत्रित निविदा के आधार पर दिनांक 11.08.2021 को 6.39 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये गये हैं।

➤ जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कुसुम योजना के तहत जोधपुर डिस्कॉम में अजमेर डिस्कॉम के टीएन-83 के तहत कृषि फीडर पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाने व डिजाईन, सर्वे, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिशनिंग आदि काम के लिए पीपाड़ शहर उपखण्ड के 11 केवी सिंधीनगर फीडर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुल 21 पम्प सेट लगाने के लिए 1.04 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिनांक 17.12.2018 को दिया गया था, जिसका कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

इसके अलावा, जोधपुर डिस्कॉम के जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर और जालोर जिलों में चयनित 17 फीडर पर कुसुम-सी के तहत पात्र ग्रिड से जुड़े किसानों की 504 सेट के लिए डीपीआर तैयार की गई है और तीन लॉट में निविदाएं मंगवायी गयी जिसकी तकनीकी बोली दिनांक 17.06.2020 व मूल्य बोली दिनांक 24.08.2020 को खोली गयी। इसके बाद LOI 21.12.2020 को जारी किया गया तदपश्चात कार्यादेश 29.12.2020 को जारी किया गया।

16. (i) आई.टी. के माध्यम से किये जा रहे कार्यों का विवरण :-

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

• ई. आर. पी. (टी. एन.-83)

ई.आर.पी. प्रोजेक्ट के तहत समस्त जयपुर डिस्कॉम में मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त एवं लेखा कार्य/प्रोजेक्ट प्रबंधन, पदार्थ प्रबंधन आदि कार्यों को ऑनलाइन एकीकृत रूप से क्रियान्वित करना।

• डी.टी. मीटरिंग (टी. एन.-62)

निविदा संख्या 62 के द्वारा वितरण ट्रांसफार्मरों एवं उपभोक्ताओं पर AMR System लगाने के लिए टेण्डर जारी किया गया है, जिसका कार्यादेश मै. सिक्थोर मीटर्स को दिया गया है। उक्त टेण्डर के तहत 41000 नग DT AMR, 35000 नग उपभोक्ता AMR (NDS, SIP, Mix load upto 18.65 KW/ 25 HP), 15000 नग उपभोक्ता AMR (MIP & HT for above 18.65 KW/ 25 HP) लगाये जायेंगे। इसके क्रियान्वयन के पश्चात ट्रांसफॉर्मर स्तर तक एनर्जी ऑडिट की जा सकेगी, जिससे उस ट्रांसफॉर्मर में विद्युत छीजत का पता लगाया जा सकेगा। माह दिसंबर, 2021 तक 4254 NDS, SIP, Mix load upto 18.65 KW/ 25 HP के उपभोक्ता, 13825 MIP & HT for above 18.65 KW/ 25 HP के उपभोक्ताओं तथा 3624 ट्रांसफॉर्मर पर मीटरिंग एवं AMR का कार्य हो चुका है।

• स्मार्ट मीटर आईपीडीएस (टी. एन.-71)

जयपुर डिस्कॉम द्वारा 281782 नग स्मार्ट मीटर के लिए आई.पी.डी.एस. के तहत जयपुर शहर एवं टोंक शहर के उपभोक्ताओं के लिए मै. जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को निविदा संख्या 71 के अन्तर्गत कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त कार्यादेश में मीटर की आपूर्ति, मीटर लगाना, मीटर को क्रियाशील करना एवं 5 वर्ष तक मीटर का परिचालन करना शामिल है। इसके क्रियान्वयन से उपभोक्ता अपने बिजली बिल की सटीक जानकारी एवं प्रबंधन मोबाईल से कर सकेंगे एवं मीटर में किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप न होने के कारण गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। टीएन-71 के अंतर्गत माह दिसंबर, 2021 तक 172632 स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं।

• स्मार्ट मीटर एनएसजीएम (टी. एन.-72)

जयपुर डिस्कॉम द्वारा 149089 नग स्मार्ट मीटर के लिए नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन स्कीम के तहत 21 शहरी कस्बों (नदबई, बयाना, वैर, भुसावर, डीग, कामां, कुम्हेर, धौलपुर, बाडी, राजाखेडा, करौली, झालावाड, झालरापाटन, अकलेरा, पिडावा, बारां, अन्ता, मांगरोल, केशोरायपाटन, लाखेरी एवं नेनवा) के उपभोक्ताओं के लिए मै. जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को निविदा संख्या 72 के अन्तर्गत कार्यादेश जारी किया गया है। उक्त कार्यादेश में मीटर की आपूर्ति, मीटर लगाना, मीटर को क्रियाशील करना एवं 5 वर्ष तक मीटर का परिचालन करना शामिल है। इसके क्रियान्वयन से

उपभोक्ता अपने बिजली बिल की सटीक जानकारी एवं प्रबंधन मोबाईल से कर सकेंगे एवं मीटर में किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप न होने के कारण गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। माह दिसंबर, 2021 तक टीएन-72 के अंतर्गत 79776 स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए गए हैं।

- **टी.एन.-82 (ई-पॉवर प्रोजेक्ट)**

“तीनो डिस्कॉम में समान बिलिंग सॉफ्टवेयर लागू करने हेतु एन.आई.सी. को टी.एन.-82 (ई-पॉवर प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत 10 मोड्यूल बनाने के लिए प्रिंसिपल आई.टी. कन्सल्टेंट रखा गया है। ई-पॉवर प्रोजेक्ट के तहत मीटरिंग, बिलिंग, कलैक्शन मोड्यूल को प्रथम दो वर्ष में लागू किए जाने का प्रावधान है।

इसके अलावा आई.टी के माध्यम से जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेबसाइट संचालित करना व अपडेट करना, जिस पर उपभोक्ताओं एवं आमजन की सूचना, निगम के जारी सभी आदेश, निर्देश एवं परिपत्र देखे व प्रिंट लिये जा सकते हैं।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- **टी.एन.-आई.टी. -26 : -**

ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग आधारित डी.टी. मीटरिंग एवम उच्च कीमत के उपभोक्ताओं के यहां लगे मीटर पर मोडम लगाकर ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग :-

इस परियोजना मे आई.पी.डी.एस. मे चयनित शहरों के 18,230 वितरण ट्रांसफार्मर पर ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग आधारित डी.टी. मीटरिंग एवं 10,362 उच्च कीमत के उपभोक्ताओं के यहां लगे मीटर पर मोडम लगाकर ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग हेतु मैसर्स एंजेन ग्लोबल सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर, को दिनांक 30 जुलाई, 2019 को कार्यादेश जारी किया है एवं दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी कर लिया गया है। सभी प्रकार के सामान की जी.टी.पी. का अनुमोदन/स्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान मे डी.टी. मीटरिंग का कार्य प्रगति पर है। इस प्रोजेक्ट में लगने वाले सभी समान वास्ते 18230 डी.टी. मीटर एवं 10362 कंज्युमर ए.एम.आर. का फ़ैक्टरी निरीक्षण किया जा चुका है। माह दिसम्बर, 2021 तक 6766 डी.टी.-ए.एम.आर. एवं 2661 कंज्युमर के ए.एम.आर. का कार्य संपादित किया जा चुका है, इसके अन्तर्गत मीटर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का आर.ए.डी.आर.पी. पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य भी सम्पन्न हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है, जोकि इसी वर्ष (2021-22) में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

- **टी.एन.-आई.टी.-28 : स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट**

इस परियोजना मे अधिक वितरण हानि वाले आई.पी.डी.एस. शहरों में 190822 उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाने हेतु मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को दिनांक 15.07.2019

को कार्यादेश जारी किया गया है। इसके अन्तर्गत आवश्यक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट किया जा चुका है। सिंगल फेज व थ्री फेज मीटरों की गारंटीड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स/फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन अनुमोदित की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट में माह दिसम्बर, 2021 तक सिंगल फेज के 66492 एवं थ्री फेज के 1847 उपभोक्ताओं के मीटरों को स्मार्ट मीटरों द्वारा बदला जा चुका है। फील्ड कार्यों हेतु स्टैंडर्ड ऑफ परफोरमेंस डॉक्यूमेंट का अनुमोदन/स्वीकृत किया जा चुका है। मैसर्स ई.ई.एस.एल. के साथ विभिन्न स्तरों पर लगातार मीटिंग होती रही है। फर्म की तरफ से ए.एम.आई. सिस्टम का वेलिडेशन का कार्य होते ही वर्तमान में चल रहे आर.ए.पी.डी.आर.पी. प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेशन किया जा सकेगा।

• **टी.एन.-आई.टी.-30 : आर.टी. डी.ए.एस. (रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम)**

इस परियोजना के अंतर्गत आई.पी.डी.एस. शहरो (अजमेर को छोड़ कर) के 33/11 केवी के 198 उपकेंद्रों पर लगे 799 फीडर ब्रेकरों के रिले को एफ.आर.टी.यु. के साथ जोड़ कर विद्युत तंत्र से उपभोक्ताओं को मिलने वाली विद्युत की गुणवत्ता के मापदंड जैसे SAIDI & SAIFI में सुधार किया जायेगा इस हेतु मैसर्स पद्मपत इंजिनियर्स, गोगल, अजमेर को 25-नवम्बर-2019 को कार्यादेश जारी किया गया है। इस हेतु 6-जनवरी-2020 को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेन्ट कर लिया गया है। फील्ड में लगने वाले सभी उपकरणों की जी.टी.पी. का अनुमोदन/स्वीकृत किया जा चुका है। बिना मॉडेम के 4 एफआरटीयू के लिए इंस्पेक्शन किया गया था और अ.वि.वि.नि.लि. स्टोर्स पर डिलीवर किया गया। चूंकि भारत सरकार द्वारा आई.पी.डी.एस. स्कीम की कार्यावधि 31.12.2021 से आगे नहीं बढ़ाई गई। अतः यह स्कीम बिना व्यर्थ खर्चा किये 31.12.2021 को ही समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

• **11 केवी ग्रामीण फीडर मोनिटरिंग सिस्टम :**

भारत सरकार की इस परियोजना हेतु मैसर्स आर.ई.सी.टी.पी.सी.एल. नई दिल्ली द्वारा मैसर्स लेम्पेक्श इलेक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद को कार्यादेश जारी किया गया है एवं अजमेर डिस्कॉम के ग्रामीण, कृषि एवं मिश्रित प्रकार के 7123 फीडरों पर मोडम लगाए गये हैं। कुल लगाये गये 7482 फीडर मॉडेम में से कुल 4930 फीडर मॉडम को प्रथम फेज में गो-लाइव किया जा चुका है। शेष मॉडमों को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर गो-लाइव किया जा सकेगा।

उक्त योजनांतर्गत स्थापित मोडमों द्वारा विभिन्न 11 केवी फीडरों की एनर्जी ऑडिट हेतु ऊर्जा की खपत का विवरण सीधे आर. ए. पी. डी. आर. पी. पोर्टल के अंतर्गत ऊर्जा अंकेक्षण हेतु काम में लिया जाता है और नेशनल पावर पोर्टल पर भी प्रकाशित की जा रही है।

• **टी. एन.- 17 एवं टी.एन.-38**

सी.सी.सी. एवं एफ.आर.टी. :- इसके तहत उपभोक्ता शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें अजमेर डिस्कॉम के सभी उपखण्डों के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों

को दर्ज किया जाता है तथा शटडाउन की सूचना को देखना व उक्त शिकायतों को सूचित कर एफ.आर.टी. टीम द्वारा निवारण करना शामिल है तथा निगम के अधीनस्थ 12 वृत्तों के 177 उपखण्डों में आवश्यकतानुसार कुल 373 एफ आर.टी. कार्यरत है।

● **टी. एन.-33 आर. ए. पी. डी. आर. पी. कार्य योजना – मै. एच.सी.एल द्वारा**

- ऑनलाइन बिलिंग।
- राजस्व संग्रहण ऑनलाइन व ऑफलाईन दोनों माध्यम से किया जाता है।
- नए कनेक्शन जारी करना, कनेक्शन काटना व पुनः कनेक्शन जारी करना।
- विभिन्न प्रकार की वरिष्ठ प्रबंधन रिपोर्ट्स व एम.आई.एस. रिपोर्ट्स प्राप्त करना।
- विभिन्न प्रकार के आवेदन जैसे कि नए कनेक्शन, पर्सनल डेटा बदलना।

● **टी.एन.-आई.टी.-41 :**

“सतर्कता जांच रिपोर्ट की ऑन-द-स्पॉट/ऑनलाइन फाइलिंग और सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का विकास”

ई-वीसीआर ऐप माह अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया है और इसे विजिलेंस विंग के लिए रोल आउट किया गया है।

निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं:-

1. भू-समन्वय लॉग के साथ रीयल टाइम ऑनसाइट वीसीआर नंबर जनरेशन।
2. वीसीआर भरने की प्रक्रिया में मैनुअल प्रविष्टि से बचें। क्रॉस लिखित, ओवरराइट या अलग-अलग स्याही से कोई विवाद नहीं।
3. मोबाइल एप्लिकेशन में वीसीआर भरने और डेटा प्रविष्टि में आसानी।
4. मोबाइल ऐप में उपभोक्ता डेटा की उपलब्धता।
5. स्वचालित मूल्यांकन गणना, कोई हेरफेर या विवाद नहीं।
6. वीसीआर का पारदर्शी और समय पर निपटान।
7. डैशबोर्ड और वीसीआर की निगरानी।
8. उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से जांच की जानकारी भेजी जा सकती है।
9. विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं।

वर्तमान में एप्लिकेशन का डेवलपमेंट कार्य प्रगति पर है। जल्द ही इसे रोल आउट किया जाएगा।

● **टी.न.-आई.टी.-18 : ऊर्जा सारथि मोबाइल वेब एप्लिकेशन**

गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।

निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं:-

वर्तमान बिल, पिछला बिल, खपत पैटर्न, औसत खपत, भुगतान ऊर्जा बिल, ऑनलाइन भुगतान विवरण, शिकायत की स्थिति, ट्रस्ट आधारित रीडिंग, तकनीकी शिकायत दर्ज करना, चोरी की शिकायत दर्ज करना आदि।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

• आर.ए.पी.डी.आर.पी कार्य योजना – मै. एच.सी.एल द्वारा टी. एन.–33

- ऑनलाइन बिलिंग।
- राजस्व संग्रहण ऑनलाइन व ऑफलाईन दोनों माध्यम से किया जाता है।
- नए कनेक्शन जारी करना, कनेक्शन काटना व पुनः कनेक्शन जारी करना।
- विभिन्न प्रकार की वरिष्ठ प्रबंधन रिपोर्टस व एम.आई.एस. रिपोर्टस प्राप्त करना।
- विभिन्न प्रकार के आवेदन जैसे की नए कनेक्शन, पर्सनल डेटा बदलना।

• स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट (टी. एन.–28)

इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में आंशिक आई पी डी एस वित्त-पोषण (अधिकतम रूपये 1200 प्रति नोड) के साथ जोधपुर शहर के खण्ड-2 के 97164 उपभोक्ताओं एवं 55 नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 5018 स्ट्रीट लाइट कनेक्शन जिन पर स्मार्ट मीटर लगाया जाना है, जिसके लिए एक मात्र निविदा प्राप्त हुई थी, जिसका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात संबंधित फर्म मैसर्स Energy Efficiency Services Ltd. को कार्यादेश दिनांक 01.08.2019 दिया गया है तथा माह दिसम्बर, 2021 तक 55,735 स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा परियोजना की अवधि दिनांक 31.12.2021 को पूर्ण हो चुकी है।

• टी. एन. टी.डब्ल्यू-468 (उपभोक्ता सेवा केन्द्र एवं शिकायत निवारण दल)

टॉल फ्री नम्बर के माध्यम से कॉल सेंटर में उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करना, शटडाउन की सूचना देखना व एफ.आर.टी. को सूचित कर उसका निवारण करना। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर आने वाली शिकायतों, मोबाइल द्वारा प्राप्त शिकायतों को दर्ज करना और दर्ज शिकायतों का डिस्कॉम अधिकारियों एवं एफ.आर.टी. के साथ समन्वय करके निस्तारण करना।

एफ.आर.टी. :- इसके तहत उपभोक्ता शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें जोधपुर डिस्कॉम के सभी उपखण्डों के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों को दर्ज किया जाता है तथा शटडाउन की सूचना को देखना व उक्त शिकायतों को सूचित कर एफ.आर.टी. द्वारा निवारण करना शामिल है तथा निगम के 189 उपखण्डों में एफ.आर.टी. 24 घंटे कार्यरत है, जिनका मुख्य कार्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निवारण करना है। इस हेतु मैसर्स टेलीपरफॉर्मेस. मुम्बई को दिनांक 01 सितम्बर, 2020 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है, और अनुबंध के अनुसार में कार्य चालू हो गया है।

• **ई.आर.पी. प्रोजेक्ट**

ई.आर.पी. प्रोजेक्ट के तहत समस्त जोधपुर डिस्कॉम में मानव संसाधन प्रबंधन, वित्त एवं लेखा कार्य, प्रोजेक्ट प्रबंधन एवं पदार्थ प्रबंधन मय स्टोर इनवेंटरी आदि कार्यों को ऑनलाइन एकीकृत रूप से क्रियान्वित करने हेतु आर.आई.एस.एल. जयपुर (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) को कार्यादेश दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।

16. (ii) संरचित/त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग-‘अ’) :-

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने माह जुलाई, 2008 में 30,000 से अधिक की आबादी वाले (जनगणना-2001 के अनुसार) शहरी क्षेत्रों के लिए पुनः संरचित/त्वरित ऊर्जा विकास व सुधार कार्यक्रम (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) शुरू किया था। इसका उद्देश्य बेसलाइन डाटा को संग्रहित करना विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और उप प्रसारण एवं विद्युत तंत्र के सुदृढीकरण से ए.टी. एण्ड सी. लॉस 15 प्रतिशत से कम लाना है। इस योजना के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है:-

आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग-‘अ’ की प्रगति निम्न प्रकार है:-

(राशि करोड रूपये में)

क्र. सं.	विद्युत वितरण निगम का नाम	स्वीकृत राशि	कार्यादेश राशि	विवरण				
				निधीयन एजेन्सी का नाम	निधीयन एजेन्सी द्वारा स्वीकृत राशि	वित्त का प्रकार	अभी तक जारी राशि	व्यय राशि
1	जयपुर	163.52	181.80	PFC	163.52	ऋण	84.48	83.89
2	अजमेर	52.03	43.54	PFC	52.03	ऋण	15.62	15.54
3	जोधपुर	100.38	71.31	PFC	100.38	ऋण	30.11	68.85
कुल योग		315.93	296.65		315.93		130.21	168.28

इस योजना के निम्नलिखित कार्यों का संपादन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है

- ऑनलाइन बिलिंग।
- राजस्व संग्रहण ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाता है।
- नए कनेक्शन जारी करना, कनेक्शन काटना व पुनः कनेक्शन जारी करना।
- विभिन्न प्रकार की वरिष्ठ प्रबंधन रिपोर्ट्स व एम.आई.एस. रिपोर्ट्स प्राप्त करना।
- विभिन्न प्रकार के आवेदन जैसे कि नए कनेक्शन, पर्सनल डेटा बदलना।

- **वर्तमान स्थिति**

- जयपुर में स्थित डाटा सेन्टर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर स्थापित कर दिये गये हैं एवं इनका सत्यापन हो चुका है।

- जयपुर में डाटा सेन्टर एवं जोधपुर में डाटा रिकवरी सेन्टर पूर्ण रूप से परिचालित हैं।

- जयपुर, जोधपुर और अजमेर में उपभोक्ता सेवा केन्द्र शुरू हो गए हैं और पूर्ण रूप से परिचालित हैं।

- **स्काडा**

- स्काडा पार्ट में राजस्थान के पांच शहरों की योजना पी.एफ.सी. द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, इसमें जयपुर की योजना 52.32 करोड रुपये, कोटा की योजना 22.30 करोड रुपये, अजमेर की योजना 21.49 करोड रुपये, जोधपुर की योजना 32.77 करोड रुपये एवं बीकानेर की योजना 25.93 करोड रुपये की है। कुल 154.81 करोड रुपये व्यय होंगे। इस तंत्र की स्थापना से विद्युत तंत्र का संचालन एवं निगरानी आदि कार्य दूरस्थ कन्ट्रोल रूम से भी किये जा सकेंगे। इसके कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य पूर्ण हो चुका है।

- जयपुर एवं कोटा दोनों शहरों में स्काडा योजना से सम्बन्धित सभी कार्य जैसे कि दोनों शहरों में स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना, जयपुर शहर में 33/11 केवी के 78 विद्युत उपकेन्द्रों पर आरटीयू लगाकर स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर से कनेक्ट करना तथा इसी तरह कोटा शहर में 33/11 केवी के 26 विद्युत उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. लगाकर स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर से कनेक्ट करने का कार्य पूर्ण हो गया है। जयपुर एवं कोटा शहर में क्रमशः 600 एवं 240 एफ.आर.टी.यू. को आर.एम.यू. पर लगाकर उनकी कनेक्टिविटी सम्बन्धित स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर में करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पी.एफ.सी. की गार्ड लाइन के अनुसार कोटा शहर का परिचालन स्वीकृति माह जनवरी, 2019 एवं जयपुर शहर का माह अगस्त, 2019 में किया जा चुका है। जयपुर शहर में 10 विद्युत उपकेन्द्रों एवं कोटा शहर में 10 विद्युत उपकेन्द्रों को मानवरहित संचालन स्काडा कन्ट्रोल रूम से किया जा रहा है तथा जयपुर शहर के शेष विद्युत उपकेन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से मानवरहित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

- अजमेर शहर में स्काडा योजना से सम्बन्धित सभी कार्य जैसे कि अजमेर शहर में स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना, 33/11 केवी के 21 विद्युत उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. लगाकर स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर से कनेक्ट करने का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 67 एफ.आर.टी.यू. को आर.एम.यू. पर लगाकर उनकी कनेक्टिविटी सम्बन्धित स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर में करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पी.एफ.सी. की गार्ड लाइन के अनुसार थर्ड पार्टी एन.टी.पी.सी. द्वारा ऑडिट का कार्य दिनांक 08.05.2019 को पूर्ण हो चुका है।

➤ जोधपुर एवं बीकानेर दोनों शहरों में स्काडा योजना से सम्बन्धित सभी कार्य जैसे कि दोनों शहरों में स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना, जोधपुर में 33/11 केवी के 53 विद्युत उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. लगाकर स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर से कनेक्ट करना तथा इसी तरह बीकानेर शहर में 33/11 केवी के 35 विद्युत उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. लगाकर स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर से कनेक्ट करने का कार्य पूर्ण हो गया है। जोधपुर एवं बीकानेर में क्रमशः 148 एवं 116 एफ.आर.टी.यू. को आर.एम.यू. पर लगाकर उनकी कनेक्टीविटी सम्बन्धित स्काडा कन्ट्रोल सेन्टर में करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पी.एफ.सी. की गाईड लाइन के अनुसार थर्ड पार्टी एन.टी.पी.सी. द्वारा ऑडिट का कार्य माह फरवरी, 2019 में पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में प्रोजेक्ट का परिचालन चल रहा है।

(17) किसानों को रात्रि के स्थान पर दिन के 2 ब्लॉकों में विद्युत आपूर्ति :-

योजना के अन्तर्गत विद्युत तंत्र के सुदृढीकरण के साथ राज्य में जिलेवार कृषि कार्य हेतु किसानों को रात्रि के ब्लॉकों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से दिन के 2 ब्लॉकों में निम्नानुसार विद्युत आपूर्ति प्रस्तावित है:-

चरण	डिस्कॉम का नाम	प्रस्तावित जिले
प्रथम चरण (01.04.2021 से)	जयपुर डिस्कॉम	कोटा, बून्दी, झालावाड एवं धौलपुर
	अजमेर डिस्कॉम	अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाडा, राजसमन्द, बांसवाडा, झुंजरपुर एवं चित्तौडगढ़
	जोधपुर डिस्कॉम	पाली, सिरोही, जालौर एवं जैसलमेर
द्वितीय चरण (01.04.2022 से)	जयपुर डिस्कॉम	जयपुर एवं भरतपुर
	अजमेर डिस्कॉम	सीकर एवं झुंझुनूं
	जोधपुर डिस्कॉम	जोधपुर
तृतीय चरण (01.04.2023 से)	जयपुर डिस्कॉम	अलवर, दौसा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर एवं बारां
	अजमेर डिस्कॉम	नागौर
	जोधपुर डिस्कॉम	बाडमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य:-

चरण	डिस्कॉम का नाम	नये सबस्टेशन निर्माण (संख्या)	वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि		अनुमानित व्यय (राशि करोड रुपये में)
			संख्या	(एमवीए)	
प्रथम चरण (01.04.2021 तक)	जयपुर डिस्कॉम	04	36	96.85	22.10
	अजमेर डिस्कॉम	17	50	139.50	45.94
	जोधपुर डिस्कॉम	30	87	233.75	100.93
	योग	51	173	470.10	168.97

चरण	डिस्कॉम का नाम	नये सबस्टेशन निर्माण (संख्या)	वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि		अनुमानित व्यय (राशि करोड रूपये में)
			संख्या	(एमवीए)	
द्वितीय चरण (01.04.2022 तक)	जयपुर डिस्कॉम	11	179	463.50	93.58
	अजमेर डिस्कॉम	10	60	162.80	38.83
	जोधपुर डिस्कॉम	32	187	548.70	210.81
	योग	53	426	1175.00	343.22
तृतीय चरण (01.04.2023 तक)	जयपुर डिस्कॉम	47	343	894.15	266.83
	अजमेर डिस्कॉम	3	34	109.00	21.99
	जोधपुर डिस्कॉम	108	344	1014.80	357.84
	योग	158	721	2017.95	646.66
	जयपुर डिस्कॉम	62	558	1454.50	382.51
	अजमेर डिस्कॉम	30	144	411.30	106.76
	जोधपुर डिस्कॉम	170	618	1797.25	669.59
	कुल योग	262	1320	3663.05	1158.86

योजना की प्रगति:-

चरण	डिस्कॉम का नाम	नये सबस्टेशन निर्माण (संख्या)	वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि		अनुमानित व्यय (राशि करोड रूपये में)
			संख्या	(एमवीए)	
प्रथम चरण (01.04.2021 तक)	जयपुर डिस्कॉम	2	27	71.10	14.13
	अजमेर डिस्कॉम	2	42	114.45	18.75
	जोधपुर डिस्कॉम	1	43	135.40	20.07
	योग	5	112	320.95	52.95
द्वितीय चरण (01.04.2022 तक)	जयपुर डिस्कॉम	0	86	216.85	33.66
	अजमेर डिस्कॉम	2	42	113.40	16.27
	जोधपुर डिस्कॉम	0	0	0.00	0.00
	योग	2	128	330.25	49.93
	जयपुर डिस्कॉम	0	113	287.95	47.79
	अजमेर डिस्कॉम	4	84	227.85	35.02
	जोधपुर डिस्कॉम	1	43	135.40	20.07
	कुल योग	7	240	651.20	102.88

साथ ही निम्न जिलों में कृषि कार्य हेतु किसानों को दिन के ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति शुरू की जा चुकी है:-

जयपुर डिस्कॉम :- कोटा, बून्दी, झालावाड, एवं धौलपुर

अजमेर डिस्कॉम :- अजमेर, भीलवाडा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद प्रतापगढ़, बांसवाडा, झुंजरपुर, सीकर एवं झुंझुनूं में दिन के ब्लॉकों में विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है ।

जोधपुर डिस्कॉम :- पाली, सिरोही एवं जालौर जिले में 87 प्रतिशत क्षेत्र

नोट- वर्तमान में स्थापित 33/11 केवी सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि/अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिन के ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है तथा योजना हेतु स्वीकृत नवीन 33/11 सब स्टेशनों का कार्य प्रगतिरत है ।

शेष जिलों में योजनानुसार कार्य प्रगति पर है।

18. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (MMKMUY) :-

- उद्देश्य:- किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु।
- लाभान्वित वर्ग:- सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता (ब्लॉक ऑवर सप्लाई)
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में सामान्य श्रेणी-ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1,000 रुपये तक (अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जावेगा। यह योजना बिलिंग माह मई, 2021 से लागू की गई है।
- विद्युत निगमों द्वारा “मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना” के अन्तर्गत बिलिंग माह दिसम्बर, 2021 तक लगभग 9.39 लाख किसानों को 324.09 करोड़ रुपये (अनंतिम) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है जिसके फलस्वरूप लगभग 5.22 लाख किसानों को शून्य राशि के बिल जारी किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

विद्युत वितरण निगम का नाम	लाभान्वित कृषि उपभोक्ता	अतिरिक्त अनुदान (राशि करोड़ रु. में)	कृषि उपभोक्ताओं को जारी शून्य राशि के बिल
जयपुर	312086	172.94	257162
अजमेर	398491	90.90	207106
जोधपुर	228534	60.25	57322
कुल	939111	324.09	521590

19. बिजली बचत व माँग प्रबन्धन की योजनाएं :-

विद्युत वितरण निगम उपभोक्ता माँग प्रबन्धन में अग्रणी रहे हैं। देश में पहली बार डिस्कॉम्स में निम्न चार योजनाएँ विभिन्न श्रेणियों में बिजली बचत के लिए संपादित की गई :-

- घरेलू क्षेत्र में फिलामेन्ट बल्बों/सी.एफ.एल. के स्थान पर एल.ई.डी. के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 9 वॉट की एल.ई.डी. का वितरण बाजार दर से बहुत सस्ती दर पर ESCO मॉडल पर मैसर्स EESL (विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के मार्फत किया जा रहा है। इससे प्रदेश में विद्युत बचत अभियान जारी है। जिनमें उपभोक्ताओं को निम्न दो विकल्प दिये गये थे:-
- (अ) घरेलू उपभोक्ताओं को 7 वाट की 10 एल.ई.डी. उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें घरेलू उपभोक्ता 3 एल.ई.डी. (प्रति रु. 105/-) किश्तों में आगामी 12 माह तक 10 रु. प्रति एल.ई.डी. प्रति माह बिल में वसूल करना एवं शेष 7 एल.ई.डी. नगद भुगतान पर 100 रुपये प्रति एल.ई.डी. उपलब्ध कराई गई थी।
- (आ) घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रु. प्रति एल.ई.डी. नगद जमा करवाकर 7 वॉट की 10 एल.ई.डी. उपलब्ध कराई गई थी। यह योजना माह मार्च, 2016 तक लागू थी। वर्तमान में 9 वॉट की एल.ई.डी. रु. 70/- में, 20 वॉट की ट्यूबलाइट रु. 270/- में और 50 वॉट के पंखे रु. 1110/- में उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- योजना प्रारम्भ से अब तक जयपुर डिस्कॉम में 82.31 लाख, अजमेर डिस्कॉम में 52.73 लाख एवं जोधपुर डिस्कॉम में 37.26 लाख कुल 172.30 लाख एल.ई.डी. का वितरण किया गया।
- वितरण कम्पनियों में उपभोक्ता (18.65 KW से अधिक) का पॉवर फैक्टर 0.9 से कम होने पर उस पर सरचार्ज का प्रावधान है एवं पॉवर फैक्टर 0.95 से अधिक होने पर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
 - कृषक द्वारा कम से कम थ्री स्टार या उससे अधिक रेटिंग के ऊर्जा दक्ष पम्प सैट स्थापित करने पर 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर एवं अपनी कृषि भूमि पर फव्वारा/ड्रिप सिस्टम स्थापित करने पर 5 हैक्टर की भूमि पर खर्च का 70 प्रतिशत भाग कृषि विभाग द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
- जो कृषि उपभोक्ता 3 स्टार व अधिक ऊर्जा दक्षता के पम्प लगाना व स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिस्टम स्थापित कर लेते हैं, उन्हें 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट भी देय है।

20. वाणिज्यिक सूचना :-विद्युत विक्रय दरें

श्रेणी	24.11.2021 से प्रभावी दरें				
	ऊर्जा प्रभार /यूनिट	राज्य सरकार से अनुदान	अनुदान के बाद प्रभावी विद्युत प्रभार	स्थाई प्रभार	अनुदान के बाद प्रभावी स्थाई प्रभार
घरेलू	-	-	-	-	-
बीपीएल/आस्था कार्डधारी 50 यूनिट/माह	3.50 रु./यूनिट	1.90 रु./यूनिट	1.60 रु./यूनिट	100 रु.	70 रु.
लघु घरेलू 50 यूनिट/माह	3.85 रु./यूनिट	1.30 रु./यूनिट	2.55 रु./यूनिट	125 रु.	100 रु.
1.सामान्य घरेलू	-	-	-	-	-
0-50 यूनिट	4.75 रु.		4.75 रु.	230 रु.	230 रु.
50-150 यूनिट	6.50 रु.		6.50 रु.	230 रु.	230 रु.
150-300 यूनिट	7.35 रु.		7.35 रु.	275 रु.	275 रु.
300-500 यूनिट	7.65 रु.		7.65 रु.	345 रु.	345 रु.
500 यूनिट से अधिक	7.95 रु.		7.95 रु.	400 रु.	400 रु.
B-I सामान्य घरेलू (एचटी सप्लाई) संविधा मांग 50 केवीए से अधिक	7.15 रु		7.15 रु	बिलिंग मांग का रु. 250 / केवीए/माह	बिलिंग मांग का रु. 250 / केवीए/माह
अघरेलू (एन.डी.एस. एल. टी. 2) 5 किलोवॉट तक	-	-	-	-	-
0-100 यूनिट	7.55 रु.		7.55 रु.	300 रु/कनैक्शन	300 रु/कनैक्शन
100-200 यूनिट	8.50 रु.		8.50 रु.	300 रु/कनैक्शन	300 रु/कनैक्शन
200-500 यूनिट	8.85 रु.		8.85 रु.	380 रु/कनैक्शन	380 रु/कनैक्शन
500 यूनिट से अधिक	8.95 रु.		8.95 रु.	460 रु/ कनैक्शन	460 रु/ कनैक्शन
5 किलो वॉट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार लेकिन संविदा मांग 50 केवीए तक					
0-100 यूनिट	7.55 रु.		7.55 रु.	संबद्ध भार का 135 रु0/किवा/माह	संबद्ध भार का 135 रु0/किवा/माह
100-200 यूनिट	8.50 रु.		8.50 रु.		
200-500 यूनिट	8.85 रु.		8.85 रु.		
500 यूनिट से अधिक	8.95 रु.		8.95 रु.	संबद्ध भार का 150 रु0/किवा/माह अथवा 270 रु. प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का (संबद्ध भार 18.65 किवा से अधिक)	संबद्ध भार का 150 रु0/किवा/माह अथवा 270 रु. प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का (संबद्ध भार 18.65 किवा से अधिक)
50 केवीए कॉन्ट्रैक्ट डिमाण्ड से अधिक के लिए	8.85 रु.		8.85 रु.	270 रु. प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का	270 रु. प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का

कृषि (मीटर्ड)	-	-	-	-	-
(i) सामान्य ब्लॉक सप्लाई	5.55 रु./ यूनिट	4.65 रु./ यूनिट	0.90 रु./ यूनिट	30 रु./एचपी/माह	30 रु./एचपी/ माह (अधिकतम 45 रु0/कनेक्शन/माह)
(ii) अन्य श्रेणियां 24 घण्टे सप्लाई	7.10 रु./ यूनिट	4.65 रु./ यूनिट	2.45 रु./ यूनिट	60 रु./एचपी/माह	60 रु./एचपी/ माह (अधिकतम 50 रु0/कनेक्शन/माह)
कृषि (फ्लैट)	-	-	-	-	-
(i) सामान्य ब्लॉक सप्लाई	745 रु./ एचपी/माह	660 रु./ एचपी/माह	85 रु./ एचपी/माह	30 रु./ एचपी/माह	30 रु./एचपी/ माह (अधिकतम 15 रु0/कनेक्शन/माह)
(ii) अन्य श्रेणियां 24 घण्टे सप्लाई	895 रु./ एचपी/	620 रु./ एचपी/माह	275 रु./ एचपी/माह	60 रु./ एचपी/माह	60 रु./एचपी/ माह (अधिकतम 20 रु0/कनेक्शन/माह)
औद्योगिक श्रेणी	-	-	-	-	-
लघु औद्योगिक सेवा (एस.पी/एल.टी.- 5) 18.65 कि.वाँ. (25 एचपी) तक	-	-	-	-	-
500 यूनिट तक	6.00 रु.			80 रु./एच पी/माह	80 रु./एच पी/माह
500 यूनिट से अधिक	6.45 रु.			110 रु./एच पी/माह	110 रु./एच पी/माह
मध्यम औद्योगिक सेवा (एम.पी/ एल.टी.-6)	-	-	-	-	-
(एम.पी/एल.टी.-6) 18.65 कि.वा. (25 एच पी) से अधिक सम्बद्ध भार) 112 कि.वा. (150 एच पी) तक या 50 केवीए तक की अधिकतम मांग	7.00 रु.		7.00 रु.	115 रु./एच पी/माह स्वीकृत संबद्ध भार का या 230 रु /के.वी.ए. विलिंग डिमांड का	115 रु./एच पी/माह स्वीकृत संबद्ध भार का या 230 रु /के.वी.ए. विलिंग डिमांड का
एच.टी सप्लाई (एच.टी-3) 18.65 कि.वा. (25 एच पी-से अधिक एवं 150 एचपी तक) परन्तु 112 कि.वा. (150 एच पी) तक सम्बद्ध भार तथा /या 125 केवीए तक अधिकतम मांग	7.00 रु.		7.00 रु.	बिलिंग डिमाण्ड का 230 रु0/केवीए/माह	बिलिंग डिमाण्ड का 230 रु0/केवीए/माह
वृहद् औद्योगिक सेवा (एल.पी/ एच.टी.-5)	-	-	-	-	-
150 एच पी से अधिक सम्बद्ध भार तथा /या 125 केवीए से अधिक अधिकतम मांग	7.30 रु./ यूनिट		7.30 रु./ यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रु0/केवीए/माह	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रु0/केवीए/माह
बिलिंग माह में बिलिंग डिमाण्ड 1 मेवीए या अधिक एवं लोड फैक्टर 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर	6.30 रु./ यूनिट		6.30 रु./ यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रु0/केवीए/माह	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रु0/केवीए/माह

वृहद उद्योगों के लिए टीओडी टैरिफ (ऑफ पीक ऑवर्स रात्रि 12:00 से 06:00 बजे तक) सामान्य ऊर्जा प्रभार से 15 प्रतिशत कम	6.205 रु./ यूनिट		6.205 रु./ यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रु0/केवीए/माह	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रु0/केवीए/माह
मिश्रित भार की बल्क सप्लाई श्रेणी	-	-	-	-	-
अनूसूची एम एल/एल टी -7					
50 केवीए तक	8.05 रु./ यूनिट		8.05 रु./ यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 105 रु./एच पी प्रतिमाह या 215 रु./केवीए पर प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का	स्वीकृत संबद्ध भार का 105 रु./एच पी प्रतिमाह या 215 रु./केवीए पर प्रतिमाह बिलिंग डिमाण्ड का
अनूसूची एम एल/एच टी -4					
50 केवीए से अधिक	8.05 रु./ यूनिट		8.05 रु./ यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 215रु0/केवीए/माह	बिलिंग डिमाण्ड का 215रु0/केवीए/माह
सावर्जनिक पथ प्रकाश	-	-	-	-	-
1 लाख से कम जनसंख्या वाली पंचायतों व म्यूनिसिपल क्षेत्रों में	7.55 रु./ यूनिट		7.55 रु./ यूनिट	115 रु/लेम्प बिन्दु/माह (अधिकतम 1150 रु. प्रति कनेक्शन/माह)	115 रु/लेम्प बिन्दु/माह (अधिकतम 1150 रु. प्रति कनेक्शन/माह)
1 लाख और उससे से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों व म्यूनिसिपल क्षेत्रों में	8.10 रु./ यूनिट		8.10 रु./ यूनिट	145 रु/लेम्प बिन्दु/माह (अधिकतम 2835 रु. प्रति कनेक्शन/माह)	145 रु/लेम्प बिन्दु/माह (अधिकतम 2835 रु. प्रति कनेक्शन/माह)
विद्युत चलित वाहन चार्जिंग स्टेशन	-	-	-	-	-
ई.वी एल.टी-8	6.00 रु./ यूनिट		6.00 रु./ यूनिट	संबद्ध भार का रु. 40/एचपी/माह	संबद्ध भार का रु. 40/एचपी/माह
ई.वी एच.टी-6	6.00 रु./ यूनिट		6.00 रु./ यूनिट	रु. 135/केवीए/माह	रु. 135/केवीए/माह
पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए टीओडी टैरिफ (ऑफ पीक ऑवर्स रात्रि 12:00 से 06:00 बजे तक) सामान्य ऊर्जा प्रभार से 15 प्रतिशत कम	5.10 रु./ यूनिट		5.10 रु./ यूनिट		
ट्रेक्शन लोड	-	-	-	-	-
एचटी-7	5.70 रु./ यूनिट		5.70 रु./ यूनिट	रु. 135/केवीए/माह	रु. 135/केवीए/माह

नोट – विभिन्न श्रेणियों में देय छूट/सरचार्ज

- 1 ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी जहां 24 घंटे सप्लाई नहीं जा दी रही है, वहां ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही हैं।
- 2 ऐसे उपभोक्ता जो सोलर वॉटर हीटर सिस्टम काम में लेते हैं तो घरेलू श्रेणी की उपरोक्त दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। (अधिकतम सीमा 300 रू0 प्रति माह व पाँच वर्ष तक)
- 3 शहरी क्षेत्रों में वाटर सेस 10 पैसा प्रति यूनिट की दर से एवं अरबन सेस 15 पैसा प्रति यूनिट की दर से अलग से बिलों में सरकार के आदेशानुसार देय है।
- 4 प्रीपेड मीटर पद्धति अपनाने वाले सभी उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जावेगी।

(ब) राजस्थान की विद्युत दरों की अन्य राज्यों की तुलना में देश में स्थिति (बढ़ते क्रम में 31.12.2021 तक):-

क्र.सं.	श्रेणी	देश में स्थान
1.	घरेलू	पांचवां
2.	अघरेलू	सातवां
3.	कृषि	पन्द्रहवां
4.	लघु उद्योग	पांचवां
5.	मध्यम उद्योग	सातवां
6.	वृहद् उद्योग	आठवां

21. जिलेवार ग्राम विद्युतीकरण:-

क्र.सं.	जिला	2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या	मार्च, 2021 तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	वर्ष 2021-22 में (माह दिसम्बर 2021 तक) विद्युतीकृत ग्राम	माह दिसम्बर 2021 तक कुल विद्युतीकृत ग्राम	माह दिसम्बर 2021 तक विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत
जयपुर डिस्कॉम						
1	अलवर	2054	2035	0	2035	99.07
2	भरतपुर	1524	1471	0	1471	96.52
3	धौलपुर	819	807	0	807	98.53
4	दौसा	1109	1104	0	1104	99.55
5	करौली	888	863	0	863	97.18
6	जयपुर	2180	2171	0	2171	99.59
7	झालावाड़	1606	1537	1	1538	95.77
8	बारां	1221	1151	0	1151	94.27
9	कोटा	874	841	0	841	96.22
10	बूंदी	873	870	0	870	99.66
11	सवाईमाधोपुर	814	772	1	773	94.96
12	टोंक	1183	1152	0	1152	97.38
योग		15145	14774	2	14776	97.56
अजमेर डिस्कॉम						
1	अजमेर	1111	1111	0	1111	100.00
2	भीलवाड़ा	1834	1832	0	1832	99.89
3	बांसवाड़ा	1513	1492	0	1492	98.61
4	चित्तौड़गढ़	1730	1678	0	1678	96.99
5	प्रतापगढ़	1003	976	0	976	97.31
6	डूंगरपुर	976	976	0	976	100.00
7	नागौर	1589	1584	0	1584	99.69
8	झुंझुनूं	927	927	0	927	100.00
9	सीकर	1167	1167	0	1167	100.00
10	राजसमंद	1050	1050	0	1050	100.00
11	उदयपुर	2479	2479	0	2479	100.00
योग		15379	15272	0	15272	99.30
जोधपुर डिस्कॉम						
1	बाड़मेर	2460	2456	0	2456	99.84
2	बीकानेर	919	859	0	859	93.47
3	चुरू	899	871	0	871	96.89
4	जैसलमेर	799	746	0	746	93.37
5	जालौर	801	800	0	800	99.88
6	जोधपुर	1838	1838	0	1838	100.00
7	हनुमानगढ़	1907	1861	0	1861	97.59
8	पाली	1030	1030	0	1030	100.00
9	सिरोही	477	477	0	477	100.00
10	श्रीगंगानगर	3018	2979	0	2979	98.71
योग		14148	13917	0	13917	98.37
कुल योग		44672	43963	2	43965	98.42

नोट:- 707 अविद्युतीकृत गांवों में से 644 गांव 2011 की जनगणना के अनुसार गैर आबाद हैं व 63 गांव वर्तमान में गैर आबाद/वनक्षेत्र/डूबक्षेत्र/विस्थापित गांव हैं। योग्य गांवों में विद्युत की मांग उपलब्ध होने पर विद्युतीकृत किया जाना संभव हो सकेगा।

* वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार |

22. जिलेवार कूप ऊर्जाकरण:-

क्र.सं.	जिला	31 मार्च, 2021 तक कुल ऊर्जाकृत कुओं की संख्या	वर्ष 2021-22 में (माह दिसम्बर 2021 तक) ऊर्जाकृत कुओं की संख्या	31 दिसम्बर 2021 तक कुल ऊर्जाकृत कुओं की संख्या
जयपुर डिस्कॉम				
1	अलवर	128718	3699	132417
2	भरतपुर	37872	2035	39907
3	धौलपुर	9160	492	9652
4	दौसा	49005	1009	50014
5	करौली	31913	822	32735
6	जयपुर	136545	1807	138352
7	झालावाड़	47467	2244	49711
8	बारां	43423	1802	45225
9	कोटा	34455	1265	35720
10	बूंदी	35780	1851	37631
11	सवाईमाधोपुर	34378	2097	36475
12	टोंक	22534	1829	24363
योग		611250	20952	632202
अजमेर डिस्कॉम				
1	अजमेर	37899	2097	39996
2	भीलवाड़ा	69359	3698	73057
3	बांसवाड़ा	24477	1050	25527
4	चित्तौड़गढ़	83199	3013	86212
5	प्रतापगढ़	47047	1482	48529
6	झुंजरपुर	38069	1544	39613
7	नागौर	59226	1370	60596
8	झुंझुनूं	63285	2409	65694
9	सीकर	77426	3098	80524
10	राजसमंद	24808	777	25585
11	उदयपुर	68435	2858	71293
योग		593230	23396	616626
जोधपुर डिस्कॉम				
1	बाड़मेर	58379	2004	60383
2	बीकानेर	46202	2884	49086
3	चुरू	25893	1315	27208
4	जैसलमेर	14574	925	15499
5	जालौर	70458	896	71354
6	जोधपुर	78757	4065	82822
7	हनुमानगढ़	36201	1532	37733
8	पाली	42965	1048	44013
9	सिरोही	31153	834	31987
10	श्रीगंगानगर	24253	821	25074
योग		428835	16324	445159
कुल योग		1633315	60672	1693987

23. विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ:-

क्र.सं.	जिला	31 मार्च, 2021 तक कुल विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ	वर्ष 2021-22 में (माह दिसम्बर 2021 तक) में विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ	माह दिसम्बर 2021 तक कुल विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ
जयपुर डिस्कॉम				
1	अलवर	633	0	633
2	भरतपुर	707	0	707
3	धौलपुर	196	0	196
4	दौसा	320	0	320
5	करौली	281	0	281
6	जयपुर	1038	0	1038
7	झालावाड़	773	0	773
8	बारां	315	0	315
9	कोटा	390	0	390
10	बूंदी	284	0	284
11	सवाईमाधोपुर	344	0	344
12	टोंक	561	0	561
योग		5842	0	5842
अजमेर डिस्कॉम				
1	अजमेर	759	0	759
2	भीलवाड़ा	1544	0	1544
3	बांसवाड़ा	312	0	312
4	चित्तौड़गढ़	890	0	890
5	प्रतापगढ़	163	0	163
6	डूंगरपुर	256	0	256
7	नागौर	1096	0	1096
8	झुंझुनूं	835	0	835
9	सीकर	822	0	822
10	राजसमंद	751	0	751
11	उदयपुर	747	0	747
योग		8175	0	8175
जोधपुर डिस्कॉम				
1	बाड़मेर	438	0	438
2	बीकानेर	557	0	557
3	चुरू	678	0	678
4	जैसलमेर	147	0	147
5	जालौर	841	0	841
6	जोधपुर	605	0	605
7	हनुमानगढ़	360	0	360
8	पाली	1169	0	1169
9	सिरोही	580	0	580
10	श्रीगंगानगर	838	0	838
योग		6213	0	6213
कुल योग		20230	0	20230

24. जन शक्ति जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दिनांक 31.12.2021 तक):—

क्रम संख्या	कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी (संख्या)		
		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
(अ)	नियमित			
1	तकनीकी			
क	अधिकारी	700	527	173
ख	कनिष्ठ अभियंता	1101	955	146
ग	अधीनस्थ	17482	13139	4343
	योग-1	19283	14621	4662
2	गैर तकनीकी			
क	अधिकारी	81	74	7
ख	मंत्रालयिक	3682	2658	1024
ग	चतुर्थ श्रेणी	996	481	515
	योग-2	4759	3213	1546
	योग (अ) (1+2)	24042	17834	6208
(आ)	अनियमित			
1	वर्कचार्ज	0	0	0
2	दैनिक वेतन भोगी	0	0	0
	योग आ	0	0	0
	कुल योग (अ+आ)	24042	17834	6208

25. जन शक्ति अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दिनांक 31.12. 2021 तक) :-

क्रम संख्या	कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी (संख्या)		
		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
(अ)	नियमित			
1	तकनीकी			
क	अधिकारी	530	419	111
ख	कनिष्ठ अभियंता	1072	1008	64
ग	अधीनस्थ	14664	10556	4108
	योग-1	16266	11983	4283
2	गैर तकनीकी			
क	अधिकारी	65	55	10
ख	मंत्रालयिक	3078	2054	1024
ग	चतुर्थ श्रेणी	600	429	171
	योग-2	3743	2538	1205
	योग (अ) (1+2)	20009	14521	5488
(आ)	अनियमित			
1	वर्कचार्ज	0	0	0
2	दैनिक वेतन भोगी	0	0	0
	योग आ	0	0	0
	कुल योग (अ+आ)	20009	14521	5488

26. जन शक्ति जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दिनांक 31.12.2021 तक) :-

क्रम संख्या	कर्मचारी श्रेणी	कर्मचारी (संख्या)		
		स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
(अ)	नियमित			
1	तकनीकी			
क	अधिकारी	513	352	161
ख	कनिष्ठ अभियंता	954	825	129
ग	अधीनस्थ	13521	9987	3534
	योग-1	14988	11164	3824
2	गैर तकनीकी			
क	अधिकारी	142	122	20
ख	मंत्रालयिक	2785	1855	930
ग	चतुर्थ श्रेणी	400	343	57
	योग-2	3327	2320	1007
	योग (अ) (1+2)	18315	13484	4831
(आ)	अनियमित			
1	वर्कचार्ज	0	0	0
2	दैनिक वेतन भोगी	0	0	0
	योग आ	0	0	0
	कुल योग (अ+आ)	18315	13484	4831

27. भौतिक प्रगति माह दिसम्बर, 1998 से माह नवम्बर, 2003 तक								
क्र.सं.	विवरण	माह दिसम्बर 1998 से मार्च 99 तक	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 में (नवम्बर 2003 तक)	दिसम्बर 1998 से नवम्बर 2003 तक
1	ग्राम विद्युतीकरण	591	540	501	576	504	48	2760
2	कूप ऊर्जाकरण	8774	22942	26070	15051	24284	14656	111777
3	ग्राम विद्युतीकरण							
•	हरिजन बस्ती	233	152	151	107	107	24	774
•	अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जाकरण	1762	2854	2559	1627	2607	2055	13464
•	कुटीर ज्योति कनेक्शन	9350	9940	15012	15020	14888	927	65137
•	घरेलू कनेक्शन	58066	204736	144995	145243	126191	82268	761499
•	अघरेलू कनेक्शन	8742	23973	23725	20475	18327	11499	106741
•	अन्य कनेक्शन	9319	26551	32549	21532	30480	19275	139706
•	जनजाति कनेक्शन	459	1002	885	736	876	384	4342
4	उप प्रसारण तंत्र							
•	33 के.वी लाइन (किमी)	919.95	867.30	1253.07	867.90	1227.58	487.52	5623.32
•	33 / 11 के.वी. सब स्टेशन एमवीए)	199.38	441.90	557.95	477.90	573.80	289.40	2540.33
•	33 / 11 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	29	115	138	125	143	64	614
•	11 / 0.4 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	4696	15357	17737	15173	15856	14657	83476
•	11 के.वी. लाइन केबल सहित (किमी)	2700.00	5387.63	6837.62	4422.65	4848.83	3673.13	27869.86
•	वितरण लाइन (किमी)	2683.00	6497.77	11244.00	5063.46	4912.86	2443.99	32845.08

28. भौतिक प्रगति माह दिसम्बर-2003 से माह नवम्बर-2008 तक

क्र.सं.	विवरण	माह दिसम्बर 2003 से मार्च 2004 तक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नवम्बर-08 तक)	दिसम्बर 2003 से नवम्बर-08 तक
1	ग्राम विद्युतीकरण	322	204	256	831	479	15	2107
2	कूप ऊर्जाकरण	8161	39841	42579	17238	29764	48310	185893
3	ग्राम विद्युतीकरण							
•	हरिजन बस्ती	78	108	100	85	123	28	522
•	अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जाकरण	1127	5346	5322	6324	13525	8681	40325
•	कुटीर ज्योति कनेक्शन	14185	45120	45074	95908	228842	129467	558596
•	घरेलू कनेक्शन	60543	198356	221100	285675	483977	352878	1602529
•	अधारेलू कनेक्शन	6002	21578	24915	29334	32581	21794	136204
•	अन्य कनेक्शन	2627	7414	7727	6606	9526	6630	40530
•	जनजाति कनेक्शन	399	2198	2606	2467	3049	2788	13507
4	उप प्रसारण तंत्र							
•	33 केवी लाइन (किमी)	765.44	1365.14	1642.09	1731.33	1461.87	696.60	7662.47
•	33/11 के.वी. सब स्टेशन (एमवीए)	254.50	787.65	949.65	728.80	827.70	358.75	3907.05
•	33/11 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	78	167	188	191	195	94	913
•	11/0.4 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	5117	36883	48002	29622	65390	75150	260164
•	11 के.वी. लाइन केबल सहित (किमी)	2623.67	11163.17	14606.72	6143.26	14055.95	12691.84	61284.61
•	वितरण लाइन (किमी)	1745.71	6819.29	8269.75	2261.82	-826.06	16708.15	34978.66

29. भौतिक प्रगति माह दिसम्बर -2008 से माह नवम्बर-2013 तक

क्र.सं.	विवरण	माह दिसम्बर 2008 से मार्च 2009 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (नवम्बर-13 तक)	दिसम्बर 2008 से नवम्बर- 2013 तक
1	ग्राम विद्युतीकरण	336	747	741	461	342	30	2657
2	कूप ऊर्जाकरण	30961	66848	65649	41111	45089	62564	312222
3	ग्राम विद्युतीकरण							
●	हरिजन बस्ती	69	106	57	30	23	4	289
●	अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जाकरण	4814	10738	11296	8466	4386	14207	53907
●	कुटीर ज्योति कनेक्शन	76293	232483	184965	99247	92579	19777	705344
●	घरेलू कनेक्शन	172308	519759	539427	416099	477225	360540	2485358
●	अधरेलू कनेक्शन	9868	31468	32960	35813	36947	20203	167259
●	अन्य कनेक्शन	3905	15852	9960	15079	14074	9193	68063
●	जनजाति कनेक्शन	1759	2941	3169	1306	4408	10159	23742
4	उप प्रसारण तंत्र							
●	33 केवी लाइन (किमी)	869.33	1441.28	2463.58	1562.60	1277.40	1938.91	9553.10
●	33/11 के.वी. सब स्टेशन (एमवीए)	660.85	1209.80	1602.85	1306.50	1151.35	1166.65	7098.00
●	33/11 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	117	266	416	264	201	326	1590
●	11/04 के.वी. सब स्टेशन (संख्या) 6.35/0.24 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	16978	120064	89726	64331	73825	86078	451002
●	11 के.वी. लाइन केबल सहित (किमी)	5912	25328	15923	17342	19585	18382	102472
●	वितरण लाइन (किमी)	5816	17406	7869	20493	8268	10406	70258

30. भौतिक प्रगति माह दिसम्बर -2013 से माह नवम्बर-2018 तक

क्र. सं.	विवरण	माह दिसम्बर- 2013 से मार्च- 2014 तक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (नवम्बर- 2018 तक)	माह दिसम्बर - 2013 से नवम्बर- 2018 तक की कुल प्रगति
1	ग्राम विद्युतीकरण	17	62	168	261	1	0	509
2	कूप ऊर्जाकरण	14506	40207	51303	29536	57461	75509	268522
3	ग्रामीण विद्युतीकरण							
•	हरिजन बस्ती	9	17	13	8	0	0	47
•	अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जाकरण	3825	8281	8953	8835	9740	6120	45754
•	कुटीर ज्योति कनेक्शन	4007	27554	12513	105776	125854	107567	383271
•	घरेलू कनेक्शन	150974	553818	678507	505095	681885	537342	3107621
•	अधरेलू कनेक्शन	19931	59449	67134	49318	76825	31976	304633
•	अन्य कनेक्शन	6598	6996	20634	9427	22389	43675	109719
•	जनजाति कनेक्शन	2195	3307	6691	9321	11445	10392	43351
4	उप प्रसारण तंत्र							
•	33 केवी लाइन (किमी)	855.86	2039.63	1857.99	1547.12	1008.65	977.38	8286.63
•	33/11 के.वी. सब स्टेशन (एमवीए)	762.85	1442.45	1236.50	984.25	892.30	813.05	6131.40
•	33/11 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	130	297	248	192	161	123	1151
•	11/0.4 के.वी. सब स्टेशन (संख्या) 6.35/0.24 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	62302	139495	94620	87489	90061	109106	583073
•	11 के.वी. लाइन केबल सहित (किमी)	7315	18408	24147	15992	29359	23068	118289
•	वितरण लाइन (किमी)	2103	16393	21717	9928	14813	10932	75886

31. भौतिक प्रगति माह दिसम्बर-2018 से दिसम्बर -2021 तक

क्र. सं.	विवरण	डिस्कॉमवार भौतिक प्रगति			कुल प्रगति
		जयपुर	अजमेर	जोधपुर	
1	ग्राम विद्युतीकरण	2	0	0	2
2	कूप ऊर्जाकरण	70278	95778	82213	248269
3	ग्रामीण विद्युतीकरण				
•	हरिजन बस्ती	0	0	0	0
•	अनुसूचित जाति के कुओं का ऊर्जाकरण	10933	11715	11715	34363
•	कुटीर ज्योति कनेक्शन	0	184338	25227	209565
•	घरेलू कनेक्शन	526790	597696	523618	1648104
•	अघरेलू कनेक्शन	56081	55592	43357	155030
•	अन्य कनेक्शन	21584	1422	9763	32769
•	जनजाति कृषि कनेक्शन	987	22784	789	24560
4	उप प्रसारण तंत्र				
•	33 के.वी लाइन (किमी)	1410	958	1420	3788
•	33/11 के.वी. सब स्टेशन (एमवीए)	1844	1524	1814	5182
•	33/11 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	148	158	197	503
•	11/0.4 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)	110847	156489	106141	373477
•	6.35/0.24 के.वी. सब स्टेशन (संख्या)				
•	11 के.वी. लाइन केबल सहित (किमी)	35007	25980	31506	92493
•	वितरण लाइन (किमी)	12465	13604	12872	38941